

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक: 1/12/2010

क्रमांक एफ 10-35/2010/16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्गों को भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

सारणी

| क्र० | कर्मकारों के प्रवर्ग |
|------|---|
| 01 | पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले |
| 02 | राज (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले |
| 03 | बढ़ई (कारपेंटर) |
| 04 | पुताई करने वाले (पेंटर) |
| 05 | फिटर या बार बेंडर |
| 06 | सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर |
| 07 | इलेक्ट्रिशियन |
| 08 | मैकेनिक |
| 09 | कुएं खोदने वाले |
| 10 | बेल्डिंग करने वाले |
| 11 | मुख्य मजदूर |
| 12 | मजदूर |
| 13 | स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे) |
| 14 | लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले |
| 15 | कुएं में गाद (तलछंट) हटाने वाले गोताखोर |
| 16 | हथौड़ा चलाने वाले |
| 17 | छप्पर डालने वाले |
| 18 | मिस्त्री |
| 19 | लोहार |
| 20 | लकड़ी चीरने वाले |
| 21 | कॉलकर |
| 22 | मिश्रण करने वाले (क्रांकिट मिक्सर चलाने वाले सहित) |
| 23 | पंप ऑपरेटर |
| 24 | मिक्सर चलाने वाले |
| 25 | रोलर चालक |
| 26 | बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी |
| 27 | चौकीदार |
| 28 | मोजाईक पालिस करने वाले |
| 29 | सुरंग कर्मकार |
| 30 | संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार |

निरंतर

| | |
|----|--|
| 31 | सड़क कर्मकार |
| 32 | चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार |
| 33 | सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले |
| 34 | चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार |
| 35 | बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार |
| 36 | बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार |
| 37 | ईट भट्ठा, खपरा, फलाई ऐश, टाईल्स मजदूर |
| 38 | पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार |
| 39 | बसोंड़ |
| 40 | कुम्हार |
| 41 | सीमेंट पोल बनाने वाले मजदूर |
| 42 | रेत या गिट्टी मजदूर |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Kabir
(के०डी० कुंजाम)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
रायपुर, दिनांक: 1/12/2010.

पृ.क्रमांक एफ 10-35/2010/16,
प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 2 निज सहायक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 3 श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 4 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
- 5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
- 6 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
- 7 सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....
(छ०ग०)
- 8 उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
(छ०ग०)
- 9 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Kabir
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
1-12-10